माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 04 मार्च 2023 को आयोजित राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की 185 वीं बैठक का कार्यवृत

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2023 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 185 वीं बैठक व्यक्तिशः तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई । बैठक में श्री जगदीश देवड़ा जी माननीय वित्त मंत्री– मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव- मध्यप्रदेश शासन, कार्यपालक निदेशक-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव-वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,संचालक वित्तीय सेवाएँ विभाग भारत सरकार, आयुक्त संस्थागत वित्त, क्षेत्रीय निदेशक-भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबंधक (एफआईडीडी) भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड सहित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता की गयी । सहभागिता करने वाले अधिकारियों का विवरण संलग्न है । संयोजक एसएलबीसी एवं महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पावर पॉइंट प्रजेंटेशन दिया गया । बैठक का कार्यवाही विवरण अग्रांकित है-

एजेंडा क्रमांक 1 :- राज्य में बैंकिंग विकास वर्ष 2022-23 (दिसंबर तिमाही)

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा वर्ष 2022-23 दिसंबर तिमाही में राज्य में हुये बैंकिंग विकास (y-o-y प्रगति) की समीक्षा की गयी एवं कृषि क्षेत्र में इनवेस्टमेंट क्रेडिट बढ़ाने पर बल दिया जो कि वर्तमान में कुल कृषि ऋण का लगभग 30% है तथा राज्य में इनवेस्टमेंट क्रेडिट बढ़ाने हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को बैंकों के साथ समन्वय कर कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया ।

कार्यवाही- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

एजेंडा क्रमांक 2 :- साख जमा अनुपात

माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्यप्रदेश के साख जमा अनुपात, देश के साख जमा अनुपात से अधिक होने पर संतोष व्यक्त किया तथा जिलेवार साख जमा अनुपात की समीक्षा करते हुये उन्होने 40 % से कम साख जमा अनुपात वाले जिलों क्रमशः सीधी, सिंगरोली, उमरिया, रीवा, निवाड़ी, अनुपपुर तथा शहडोल के साख जमा अनुपात में वृद्धि करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया ।

कार्यवाही- संबंधित जिलों के अग्रणी बैंक

एजेंडा क्रमांक 3 :- 54 चिन्हित गाँवों में बैंकों की शाखाएँ खोलना

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 27 गाँवों में बैंकों की शाखाएँ खोली जा चुकी है। संबन्धित बैंकों द्वारा यह भी अवगत कराया कि अन्य स्थानों में कुछ परेशानियाँ जैसे कनेक्टिविटी की समस्या, भवन की अनुपलब्धता आदि के कारण उन्हें शाखाएँ खोलने में समस्या आ रही है । मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिन स्थानों पर भवन की अनुपलब्धता के कारण शाखाएँ खोलने में बैंकों को समस्या आ रही है उन स्थानों पर संबन्धित जिलों के जिला कलेक्टर के साथ चर्चा कर भवन उपलब्ध करवाने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया गया ।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,सभी संबन्धित बैंक

एजेंडा क्रमांक 4 :- कृषि ऋण- Crop Season का निर्धारण

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. RBI/2022-23/17DOR.STR.REC.5/21.01.048/2022-23 दिनांक 01.04.2022 के पैरा 2.1.3 (iii) के अनुसार राज्य में फसल चक्र (Crop Season) का निर्धारण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा किया जाना है । फसल चक्र (Crop Season) निर्धारण हेतु दिनांक 17.02.2023 को एसएलबीसी की कृषि उपसमिति की बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी । उपसमिति द्वारा सभी लघु अवधि की फसलों का फसल चक्र (Crop Season) 12 माह तथा दीर्घ अवधि की फसलों का फसल चक्र (Crop Season) 18 माह किए जाने का प्रस्ताव पारित कर आगामी एसएलबीसी की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था अतः एसएलबीसी द्वारा कृषि उपसमिति में लिए गए उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यवाही- सभी बैंक

क्रमांक 5 :- शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा केंद्र सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा बैंकों को सभी स्व-रोजगार योजनाओं के लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिये गए साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत पात्र मुद्रा ऋण के लाभार्थियों के डाटा को SAMAST पोर्टल पर दर्ज करने हेतु एमएसएमई विभाग को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गए।

कार्यवाही- एमएसएमई विभाग

पशुपालन विभाग ने समिति को अवगत कराया कि कुछ बैंक केसीसी पशुपालन के प्रकरणों को 'कृषकों का भूमिहीन होना' कारण के आधार पर निरस्त कर रहे हैं जबकि रु 1.60 लाख के ऋण सीमा पर Collateral न लिए जाने का प्रावधान है। बैंको को निर्देशित किया गया कि वे इस कारण के आधार पर प्रकरणों को निरस्त न करें साथ DFS द्वारा इस संबंध में जारी SOP का पालन सुनिश्चित करें ।

कार्यवाही- समस्त बैंक

पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि जिन बैंकों की शाखाओं ने प्रथम ट्रांच में ऋण स्वीकृत किया है वही द्वितीय ट्रांच में भी ऋण स्वीकृति करें ताकि हितग्राहियों को परेशानी न हो ।

कार्यवाही- समस्त बैंक

शासकीय योजना अंतर्गत ऐसा पाया गया कि बैंकों द्वारा अधिक मात्रा मे प्रकरण निरस्त किए गए हैं । बैंकों को निर्देशित किया गया कि मामूली कारणों के आधार पर निरस्त किए गए प्रकरणों की पुनः समीक्षा करें साथ ही निरस्त किए जाने वाले प्रकरणों में अपना comments आवश्यक रूप से SAMAST portal पर दर्ज करें जिससे कि संबन्धित विभाग द्वारा उसकी समीक्षा की जा सके ।

कार्यवाही- समस्त बैंक

बुनकरों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार की तरफ से 'प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना' चलाई जा रही है । योजना अंतर्गत राज्य में अब तक 1026 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए है जिनमें 281 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है । बैंकों को निर्देशित किया गया है कि शेष प्रकरणों को जल्द स्वीकृत एवं वितरित करें । साथ ही हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल के माध्यम से योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत करें ।

कार्यवाही- समस्त बैंक

बैंकों को निर्देशित किया गया है कि NRLM योजना अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को स्वीकृत किए गए ऋण की DP (DrawingPower) योजना के निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार अनिवार्य रूप से वृद्धि करें –

- प्रथम वर्ष की DP-SHG corpus का 6 गुना या रु 1.50 लाख (जो भी ज्यादा हो)
- द्वितीय वर्ष की DP-SHG corpus का 8 गुना या रु 3.00 लाख (जो भी ज्यादा हो)
- तृतीय वर्ष की DP-न्यूनतम रु 6.00 लाख

- **कार्यवाही- समस्तबैंक**

एजेंडा क्रमांक 6 :- वित्तीय समावेशन

मुख्यमंत्री जी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्त विभाग तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अग्रणी जिला प्रबन्धकों के साथ साप्ताहिक रूप से बैठक कर वित्तीय समावेशन तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें ।

कार्यवाही- संस्थागत वित्त तथा एसएलबीसी

एजेंडा क्रमांक 7 :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आधार आधारित भुगतान

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आधार आधारित मजदूरों के भुगतान हेतु अभी तक मात्र 37 % खाते ही आधार आधारित भुगतान AEPS हेतु परिवर्तित हुये हैं । शेष मजदूरों के बैंक खातों को आधार आधारित भुगतान (DBT Enabled) हेतु बैंक, अग्रणी जिला प्रबन्धक तथा मप्र रोजगार गारंटी परिषद् कार्ययोजना तैयार कर इस कार्य को पूर्ण करें ।

कार्यवाही- समस्त बैंक, अग्रणी जिला प्रबन्धक तथा मप्र रोजगार गारंटी परिषद्

एजेंडा क्रमांक 7 :- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत महिलाओं के बैंक खाते DBT Enabled करना

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत महिलाओं के बैंक खाते DBT Enabled किया जाना है । महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संबंध में कार्य-योजना तैयार करने एवं बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश प्रदान किए गए ।

कार्यवाही-महिला एवं बाल विकास विभाग, वित्त विभाग, एसएलबीसी तथा समस्त बैंक

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

****